क्रम-संख्या–194

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006

भाद्रपद 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

संख्या 1454/30-4–2006-25पी-77

लखनऊ, 25 अगस्त, 2006

अधिसूचना

सा० प० नि०–32

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा याचिका संख्या 3648(एम०/बी०)-2006, सुदर्श अवस्थी बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23 जून, 2006 द्वारा वाहनों में अवैध लाल/नीली बत्ती, पदनाम पट्टिका, शीशों पर काली फिल्म आदि के बारे में कतिपय निर्देश दिये गये थे। उन निर्देशों का प्रकाशन जनसामान्य की सूचना हेतु राष्ट्रीय सहारा के अंक दिनांक 14 जुलाई, 2006 तथा टाइम्स आफ इण्डिया के अंक दिनांक 15 जुलाई, 2006 में कराया गया था। पुनः इन निर्देशों का प्रकाशन दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स आफ इण्डिया तथा पायनियर के अंक दिनांक 10 अगस्त, 2006 में कराया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रकाशन के बावजूद कतिपय वाहन स्वामी अवैध लाल/नीली बत्ती, पदनाम पट्टिका तथा काली फिल्म आदि का प्रयोग करते हुए पाये गये। इस पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा दिनांक 10 अगस्त, 2006 को मा० न्यायालय के आदेशानुसार मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन व्यक्तिगत रूप से मा० उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पुनः अवैध लाल/नीली बत्ती, पदनाम पट्टिका, काली फिल्म आदि के प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को दिये गये।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा याचिका संख्या 3648 (एम०/बी०)-2006, सुदर्श अवस्थी बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23 जून, 2006, 4 अगस्त, 2006 एवं 10 अगस्त, 2006 के अनुपालन में लाल/नीली बत्ती एवं हूटर/सायरन का अनधिकृत प्रयोग, पदनाम पट्टिका न लगाने तथा

वाहनों के शीशों में काली/अपारदर्शी/चमकदार फिल्म न लगाये जाने एवं वाहन डीलरों/विक्रेताओं द्वारा बिना पंजीकरण कराये क्रेताओं को वाहन सुपुर्द न करने आदि के सम्बन्ध में जनसाधारण की जानकारी के लिये मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में किये गये विभिन्न प्राविधानों को अधिसूचित कराया जाना आवश्यक है।

1–लाल/नीली बत्ती का अनधिकृत प्रयोग :–

(केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989)

नियम–108

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च पदस्थ व्यक्तियों एवं अधिकारियों के वाहनों के सिवाय अन्य वाहनों के शीर्ष भाग पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग वर्जित है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ0 52(ई) दिनांक 11 जनवरी, 2002 के क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 533/30-4-2003-25पी/77, दिनांक 07 मार्च, 2003, दिनांक 31 मार्च, 2003 संख्या 709/30-4-2003–25पी/77, दिनांक 31 मार्च, 2003 संख्या 709(1)(2)850/30-4-2003–25पी/77, दिनांक 31 मार्च, 2003 एवं 7 अगस्त, 2006 द्वारा विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तियों/अधिकारियों के वाहनों के शीर्ष भाग पर लाल/नीली बत्ती के प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, जब वाहन प्रदेश में ड्यूटी पर हो। इसके अतिरिक्त आपात ड्यूटी, फायर बिग्रेड, पेट्रोल कार और शान्ति व्यवस्था से संबंधित वाहनों में बहुरंगी लाल नीली तथा सफेद रंग की बत्तियों का प्रयोग एवं रोगियों को ले जाने के लिये एम्बुलेन्स पर नीली बत्ती का प्रयोग अनुमन्य किया गया है।

दण्डात्मक प्राविधान :–

लाल/नीली बत्ती के अनधिकृत प्रयोग पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत रु0 100 एवं द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये रु0 300 अर्थदण्ड का प्राविधान के साथ नियम 92 के उल्लंघन में वाहन को तब तक रोकने (Detain) के आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये है जब तक कि अनधिकृत रूप से लगायी गयी बत्तियों को निकलवा न दिया जाये। इसके अतिरिक्त संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र को धारा 53 व 54 के अन्तर्गत निलम्बित/निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं।

2–हूटर/सायरन का अनधिकृत प्रयोग :–

(केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989)

नियम–119 :–

किसी मोटर यान में बहुश्रृव्य ध्वनि उत्पादक संयंत्र जो लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार की आवाज निकालने या असम्यक कठोर तीव्र आवाज या चेतावनी भरी आवाज निकालने वाली कोई अन्य संविधि नहीं लगायी जायेगी परन्तु रोगी वाहन अग्नि शमन वाहनों या उद्धार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त वाहनों अथवा पुलिस अधिकारियों या मोटरयान (परिवहन) विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी निर्वहन के क्रम में आपातकाल में यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

दण्डात्मक प्राविधान :–

अनधिकृत रूप से हूटर/सायरन अथवा मल्टी प्रेशर हार्न के प्रयोग पर रु0 1,000 अर्थ दण्ड का प्राविधान है एवं साथ ही धारा 53 व 54 के अन्तर्गत वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित/निरस्त करने के आदेश दिये गये है एवं नियम 92 के अन्तर्गत हूटर/सायरन/मल्टी प्रेशर हार्न के निकाले जाने तक वाहन को, निरुद्ध (Detain) किया जा सकेगा।

3–काली/चमकदार अपारदर्शी फिल्म का शीशों पर न चिपकाना :–

नियम–100 :–

उक्त नियमावली के नियम 100 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि वाहन के आगे-पीछे 70 प्रतिशत एवं साइड की खिड़कियों पर इस प्रकार की कोई काली एवं चमकदार फिल्म लगाना वर्जित है जिससे 50 प्रतिशत प्रकाश की पारदर्शिता बाधित होती हो।

दण्डात्मक प्राविधान :–

उल्लंघन पर धारा–177 के अन्तर्गत अर्थ दण्ड का प्राविधान है एवं धारा 53 व 54 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित/निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये है एवं नियम–92 के उल्लंघन में वाहन को तब तक निरुद्ध (Detain) किया जा सकेगा जब तक कि काली/चमकदार/अपारदर्शी फिल्म शीशों से हटा न दी जाये।

4–पदनाम पट्टिका/बोर्ड लगाना वर्जित :–

नियम–50 :–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–50 में वाहन के आगे-पीछे पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने वाली पट्टिका लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई पदनाम पट्टिका, बोर्ड अथवा अन्य किसी प्रकार की पट्टिका लगाया जाना वर्जित है।

दण्डात्मक प्राविधान :–

उल्लंघन पर धारा–177 के अन्तर्गत अर्थ दण्डनीय अपराध है। प्रथम अपराध के लिये रु0 100 एवं द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये रु0 300 अर्थ दण्ड लगाने का प्राविधान है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पंजीयन प्लेट के अतिरिक्त अन्य कोई प्लेट/बोर्ड न लगाने के आदेश दिये गये हैं।

5–बिना पंजीकृत कराये वाहन की बिक्री वर्जित :–

नियम–42 :–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–42 के अनुसार कोई भी मोटर डीलर/विक्रेता, क्रेता को तब तक वाहन सुपुदर्गी में नहीं देगा जब तक वाहन का स्थायी/अस्थायी पंजीयन न करा लिया गया हो और बिना पंजीयन कराये वाहन का संचालन सार्वजनिक स्थल पर वर्जित है।

दण्डात्मक प्राविधान :–

उल्लंघन पर धारा–192 के अन्तर्गत रु0 5,000 एवं अनुवर्ती अपराध के लिये रु0 10,000 अर्थ दण्ड का प्राविधान है एवं धारा 207 के अन्तर्गत ऐसा वाहन अभिग्रहीत (Seize) किया जा सकता है एवं इसके साथ ही डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निलम्बित/निरस्त किया जायेगा।

6–काली/चमकदार अपारदर्शी फिल्म की बिक्री पर रोक :–

वाहनों के शीशों पर चिपकाने वाली काली/चमकदार/अपारदर्शी फिल्म जिसकी पारदर्शिता वाहन की खिड़कियों से वाहन के अन्दर 50 प्रतिशत व आगे-पीछे के शीशों से वाहन के अन्दर पारदर्शिता 70 प्रतिशत से कम न हो, की बिक्री मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वर्जित की गयी है। सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में उक्त फिल्म की बिक्री पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

7–लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन की बिक्री सीमित :–

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन की बिक्री मोटर डीलर द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नहीं की जायेगी। परिवहन विभाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की बिना लिखित अनुमति के कोई लाल/नीली बत्ती एवं हूटर/सायरन की बिक्री संबंधित डीलर द्वारा नहीं की जायेगी। संबंधित डीलर परिवहन विभाग के उपर्युक्त अधिकारी को अपना स्टाक घोषित करेंगे तथा क्रय-विक्रय का रजिस्टर रखेंगे इसका उल्लंघन करने पर व्यापार कर विभाग अथवा अन्य शासकीय विभागों द्वारा दिये गये पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निरस्त किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में उपर्युक्तानुसार बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

8–मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन पर अवमानना वाद :–

मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2006 में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/अधिकारियों के नाम

राज्य प्राधिकारियों (चेकिंग अधिकारियों) द्वारा सूचित करने पर न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के सम्बन्ध में विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अतः सर्वसंबंधित को संसूचित किया जाता है कि मोटर वेहिकिल्स एक्ट के उपर्युक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त प्राविधानों का उल्लंघन करने पर वाहन अभिग्रहीत किया जायेगा तथा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी/प्रभारी जो उपरोक्त प्राविधानों के उल्लंघन के दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना कानून के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

आज्ञा से,
नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1031 राजपत्र(हि०)–2006–(1476)–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।